नं० ५४६४ — घ

सेनाद्वारा युद्धनीतिः (नीतिशास्त्रम्

पत्राणि १४ (चतुर्दशानि)

(सम्पूर्णम्

के॰ कालस

नं० ५६

नं० ५४६४-घ

फौज के लडाने की कताप

पत्राणि १४ (सपूरम) (नीतिशास्त्रम्)

नं० ९०९

४१

नं० ५४६४-घ
सेना द्वारा युद्धनीति: (नीतिशास्त्रम्)
पत्राणि १४ (चतुर्दशानि) (सम्पूर्णम्)

5464

F - 14

Complete



श्रीरघुनाथो जयति

मध्यस्थ सहकारी गण के वास्ते नियम

१- मध्यस्थ लोग उसी वरदी को पहर कर हाजर होवें कि जो वरदी जिस फौज के साथ वे संयुक्त किये गये हैं उस फौज ने पहरी है वे लोग एक सुफेद चौडी पट्टी केहुनी के ऊपर दहनी बांह पर पहिरें

२- दिन के व्यापार प्रारंभ होने के पूर्व मध्यस्थ लोगों के पास उन विशेष आज्ञाओं की नकल होनी चाहिये कि जो आज्ञा फौज को दी गई हैं ये आज्ञा बहुत ही वि

ख्यास कारक समझी जावेंगी ए ध्य

क्षात संघों के जनरल या दूसरे ग्रा

ज्ञापक ग्रफसरों से जो शिक्षा दी

हैं ग्रोर जो २ काम उनने करने

नियत किये हैं वे सब वातें ग्रपने सा

थ नियुक्त मध्यस्थों को ही दे दी जावें

३- प्रत्येक ग्रोर के वड़े मध्यस्थ

दूसरे मध्यस्थों के विभाग के जिमे

वार हैं जहां तक हो सके वहां तक

एक २ मध्यस्थ दलों के प्रत्येक संघ

के साथ विभक्त रहे परंतु प्रत्येक

मध्यस्थ जहां तक हो सके वहां

तक ग्रपने निकट वर्ति संघर्षी द

लों की स्थिति ग्रोर संख्या से स्वयं

परिचित रहें

४- दलों की संख्या ग्रोर स्थिति से

तोपों की संख्या ग्रोर जिस लक्ष्य पर

वे तोपें संधुक्षण करनी हैं उस लक्ष्य का
निश्चय करने के वास्ते मध्यस्थों की स
हायता के लिये सहायक मध्यस्थ र
हते हैं उनको निर्णय देने का अ
धिकार नहीं है परन्तु दलों की आ
पस में टक्कर न हो जाने के वास्ते द
लों को तव तक खड़ा हो जाने की आ
ज्ञा दे सकते हैं कि जव तक निकट
वर्ति मध्यस्थ का निर्णय न आ जावे

५- मध्यस्थ सहकारिगण की आ
ज्ञा ऐसी सरुनी चाहिये कि मानो वे
मुख्य मध्यस्थ से निकली हैं और
वे विलंव के विना काम में लानी
चाहिये

६- उस स्थान पर वर्तमान मध्यस्थ
संहर्ली शास्त्रों की शंका का निर्णय क
र सकता है

७-कोई जैनैल या दूसरे आज्ञापक अ
फसर किसी कारण पर भी मध्यस्थों के
साथ वादानुवाद न करें और मध्यस्थ
लोग भी जिस प्रकार से दल हस्तगोच
र किये हैं उस प्रकार के विषय में
अपनी ओर से कोई गुण दोष न वतलावें
८-जव परस्पर टक्कर की संभावना
मालुम होती है तव दोनों ओर के म
ध्यस्थ आपसमें मिलें और अपनी र
फौज की संख्या और स्थिति वतलाने
के वाद अपक्रमण करने वाली फौ
ज का निर्णय कर लेवें
९-आधा दल आधी समुदाय अ
थवा एक तोप से अल्प संघ के द्वारा
हानि का अनुमान न करना चाहि
ये जव कोई मध्यस्थ किसी दल को

3

लड़ाई छोड़ देने की आज्ञा देवे तब वह दल अवस्थानुसार घोड़ों पर से उतर पड़े अथवा योजयत स्यंत्रंक र लेवे और उसी जगह मुख्य मध्यस्थ की आज्ञाओं के वास्ते प्रतीक्षा करे

९—मध्यस्थ लोग सवारी को धावा करने की दूरी के भीतर अथवा पदाति अथवा अस्त्राली को फलोत्पादक लक्ष्यांतर के भीतर समझकर अपने निर्णियों को सर्वदा यथार्थ वर्तमान अवस्थायों पर आश्रित रखें और वे लोग इस अभिप्राय से प्रवर्तित न रहें कि हमारे निर्णिय बहुत निर्णीयों की सामान्य शिक्षा रीति पर ही होवें

११-दिन के व्यापार समाप्त होने पर अथवा संधुक्तमाङ्किरमत के बाद सं मिलन अथवा अफसर बुलाने का बिगुल बजने पर मध्यस्थलोग एक बारगी मुख्य मध्यस्थ के पास चले जावें

१२-यदि कोई विरुद्ध आज्ञा न मि ली होवें तो मध्यस्थलोग व्यापारों की समाप्ति के बाद जितनी जलदी होस के उतनी जलदी जो कुछ उनोंने देखा है उसकी संक्षिप्त रपट और उनके अपने बतलाने वाले निर्ण यों के साथ संबंध रखने वाली अ वस्थायों का वृत्तांत भी लिख देवें

मध्यस्थ सहकारी गण के व्य वहार के वास्ते सिद्धांतो का वर्णन

१३-मध्यस्थलोग अपने निर्णय कर

ने के वास्ते विविध अवस्थाओं के द्वारा अनुदिष्ट होने चाहियें वे लोग दोनों और प्रवृत्त और तात्कालिक संचय में वर्तमान सापेक्ष दल स्थिति का बल और आक्रमण करने के समय अतिक्रमण करने वाली भूमि की आकृति और रक्षक दलों का व्यवस्थापन और आक्रमकों के आक्रमण की रीति इन सब बातों के विषय में सावधानता पूर्वक विचार करें और सुघटित पार्श्वीय आक्रमण पद्धति और अस्त्राली के संधुक्षण का अनुप्रयोग और इसकी सुविवेक एकत्रता अस्त्राली संधुक्षण के द्वारा आक्रमण की सफलता और यदि आक्रमण निष्फल सिद्ध हो जावे तो अपक्रमण को आच्छादन करने के वास्ते व्यवस्थापन

इन सब विषयों में विशेष विवेचना करें सा
दि के हमले के फल का निर्णय करने में
आक्रमण के समय वर्तमान शत्रु के दलों
की अवस्था और जिस जगह आक्रमण उ
त्तम क्रम में हो सकता है उस जगह से
दूसरी जगह पर तो पंक्ति नहीं पहुंची
इन बातों को ध्यान में लावें जो संधुलण
आक्रमण के पूर्व और उस समय दोनों
ओर से हो रहा है उस पर भी उचित
ध्यान देवें

१४- मंध्यस्थों को निर्णय करने के वास्ते
सहायता के अभिप्राय से वक्ष्यमाण बातें लि
खी गई हैं परंतु ये बातें उनके विचार को
अटकाने के वास्ते किसी तरह से अभीष्ट
नहीं हैं

(अ) यदि पदाति बुद्धि पूर्वक सबल
स्थिति में स्थापित होवे परंतु जितनी आ

ड जमीन की घट नाओं के द्वारा दी जाती है उससे अधिक आड के विना होवें तो संमुख आक्रमण के द्वारा एक के सामने दो से अल्पबल के द्वारा हटाये जाते और क्रमण वाला बल यदि आक्रमण में निष्फल होवे तो अपनी चतुर्थांश संख्या नष्ट करता है और यदि सफल होवे तो षष्ठांश नष्ट करता है और रक्षक बल यदि हटाया जावे तो चतुर्थांश बल नष्ट करता है

(क) यदि पदाति आश्रयरवात इंदे अथवा और दूसरी तुल्य आड (कि जो योग्य स्थापित है उस) के पीछे स्थित होवें तो वे एक के सामने तीन से अल्प बल के द्वारा नही हटाये जाते आक्रमण करने वाला बल यदि निष्फल होवे तो अपनी एक तृतीयांश संख्या और यदि सफल होवे तो एक चतुर्थांश संख्या नष्ट करता है और

रक्षक बल यदि हटाया जावे तो एक चतुर्थांश नष्ट करता है

(ख) यदि ये आक्रमण (अ और क वा ख) आस्थाली संधुक्षण से अधिगत न होवें तो रक्षकों के सामने आक्रामकों का परिमाण एक के सामने तीन और एक के सामने चार तक सापेक्ष रूप से बढाया जाना चाहिये यदि आक्रमण निष्फल सिद्ध होवे तो जिन दलों ने यह किया है वे फिर मध्यस्थ की आज्ञा विना आक्रामक नहीं हो सकते

(ग) सवारी यदि पदाति को पार्श्व अथवा पृष्ठ में अथवा अचानचक आक्रमण के द्वारा ग्रहण न करे तो निर्माण में स्थित पदाति पर आक्रमण न करे यदि बल विन्यास विद्या संबंधी कारण के वास्ते पूर्वोक्त की अपेक्षा दूसरे

निर्माण में स्थित पदाति पर सवारी के
द्वारा आक्रमण करना आवश्यक होवे
6 तो वे अपने बल के दो तृतीयांश नष्ट
किये हुये समझे जावेंगे

(घ) कवायद के काम के वास्ते पदाति
का फलोत्पादक संधुक्षण ६०० गज ।
लिखा गया है और तोपखाने का अ
वस्थाओं के अनुसार २००० से ३०००
गज तक लिखा गया है

(च) योजित अथवा विना सहायक
अस्वाली जब पार्श्व पर सवारी के द्वा
रा आक्रमण की जाती है तब ले ली हुई
समझनी चाहिये स्थिति में स्थित अश्वा
ली को पत्रिक्रम में के विना संमुख में
आक्रमणण करने वाली सवारी प्रतिहत
समझनी चाहिये

(छ) योजित तोपें यदि विना सहायक
अथवा थोड़े सहायकों के साथ होवें तो

पदाति अश्वयोद्धाओं के द्वारा गृहीत हो स
कती हैं

(ज) अच्छी तरह से स्थापित १२ आद
मी जब तक घोड़ों पर से उतरे हुये अ
धिक बल के द्वारा भगाये न जावें त
ब तक नाले वाले रास्ते अथवा पुल प्रभृ
ति संकट पथ में से सवारी को नहीं लं
घने देते

पुलों को तोड़ने और मरम्मत न करने के विषय में

१५ यदि आवश्यक साधन और
सामग्री उस जगह पर लाई जा चुकी
होवे तो पुल १५ मिनट में तोड़ा जा स
कता है

१६- सवार रजमनों के पथशोध
कों के द्वारा अपने उपकरणों के साथ
पुल २५ मिनट में तोड़ा जाता है

१७ यदि तैयार की हुई उपास्थित साम ग्री उस जगह पर लाई हुई अनुमित हो (कि जो यथेष्ट गाड़ी और सफरमैनि ओं की वर्तमानता के द्वारा सूचित हो वेगी) अथवा ऐसी सामग्री स्वरूपसे उस जगह पर होवे तो पुल आधे घंटे में मरम्मत हो सकता है यदि सामग्री एकत्र करनी होवे तो पुल डेढ़ घंटे में मरम्मत हो सकता है

१८ प्रायः करके पैदल के लंघने के वास्ते यथेष्ट सामग्री एकत्र करना आधे घंटे में संभव हो सकता है

१९ जब पुल तोड़ दिये अथवा मरम्म त कर दिये गये अथवा किसी तरह के प्रध्वंस अथवा अवरोध कर दिये गये हैं तब इन कामों के वास्ते गृहीत उपा य नियुक्त आदमियों की संख्या और

प्रारंभ करने का अथवा समाप्त करने का समय लिख कर भेजा जावे और इस पर संघ के अधिकारी अफसर अथवा अनधिकार्याध्यक्ष की निशानी कर दी जावे यह पत्र मध्यस्थ के पास भेजा जाता है और यदि वह इस बात का निश्चय कर लेवे कि काम नियमों के अनुसार भया है तो पत्र पर अपनी निशानी करेगा

टिप्पणी- यदि इस तरह के पत्र पर किसी मध्यस्थ की निशानी न होवे तो उस पत्र पर कुछ ध्यान नहीं दिया जावेगा

आश्रय खातों के विषय में

२० यदि दल अवस्थायों के कारण आश्रयखात नहीं बना सकें तो वे तीन फुट ऊंचे सफेद छोटे पर्दे के द्वारा ह

चित होवें मध्यस्थों के संतोष के वास्ते यह बात मालुम होगी कि साधनों के वास्ते आवश्यक भार वरदारी उस जगह पर उपस्थित थी एक टिप कार्ट गाड़ी में ६० गेंती और ६० फरुए आ सकते हैं इतने साधन १०० गज खाई के वास्ते पर्याप्त होते हैं एक सामान्य कार्योपयोगी गाड़ी में १५० गेंती और १५० फरुए आ सकते हैं ये २५० गज के वास्ते पर्याप्त होते हैं एक आश्रय खात आधे घंटे में बन सकता है

२१ जब फसल विछिन्न भूमि अथवा दूसरी घटनाओं के द्वारा दल विस्तृत नहीं हो सकते और यह बात यथार्थ लड़ाई में नहीं रुक सकती तब वे दल यदि आज्ञापक इस बात की इच्छा करे तो विस्तृत भये हुये समझने चाहिये परन्तु

जो देशी विस्तार करने में लग नी विचारित होती है उस देशी के वास्ते आज्ञापक आ वश्यक अंतर न करे परंतु जिस निर्माण में उसने उरः स्मरण करना सम्मत किया है वह यथार्थ निर्माण मध्यस्थ को वत ला देवे

दलों को ध्यान में रखने के नियम

२२-प्रति पक्षी दल अन्य क्रम की वर दी पहिरें अथवा एक पार्श्व के दल अप ने सिर के कपड़े पर पहिचान वाले चि ह्न पहिरें

२३-कोई दल प्रति पक्षी दल निकट मैदान में १०० गज और आवृत भूमि में ५० गज की दूरी के भीतर न पहुंचें और किसी अवस्था में भी इस से थो ड़ी दूरी पर संधुक्षण बिलकुल अनुमत नहीं है जब यह अवधि प्राप्त हो जावे तब रोकने वाले दल खड़े हो जावें दाग

ना बंद कर देवें और तब तक खड़े रहें
कि जब तक पीछे हटने वाले दल का नि
र्णय न हो जावे पलटन आधी पलटन
दल और समुदायों के आज्ञापक अ
फसर इस बात के जिम्मेवार हैं कि य
ह आज्ञा अच्छी तरह मानी जावे जो
किसी दल संघ का तात्कालिक आज्ञा
पक इस आज्ञा को न माने उसकी रप
ट तुरंत ही मुख्यमध्यस्थ के पास कर
दी जावे गी जब सादि सैन्य सादि अश्वा
ली अथवा पदाति के पास पहुंचे तब वे
प्रति पक्षी फौज के २०० गज पर पहुंच
कर गाम गति धारण कर लेवें और
१०० गज पर पहुंच कर वे खड़े हो जावें
कि जब तक पीछे हटने वाली फौज
का निर्णय न हो जावे

२४- यदि कोई मध्यस्थ हाजर न होवे
और दल नियमित दूरी के भीतर पहुंच

जावें और कोई संदेह का विषय हो जावे तो दोनो ओर के आज्ञापक अफसर आपस में मिलें और अपक्रमण करने वाले पार्श्व की व्यवस्था करने का प्रयत्न करें

२५ ताडित सादि डुलकी में अपक्रमण करे और विजयी सादि गाम में अनुसरण करे

२६- जब पदाति मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार पदाति के द्वारा ताडित होती है तब विजयी २०० गज की दूरी तक अनुसरण करे पराजित पदाति तब तक फिर आक्रमण के वास्ते रचित नहीं हो सकती कि जब तक वह सहायक दलों के पीछे अथवा किसी आड के पीछे न जमा हो लेवे

२७ संयुक्तागा द्विरमत और तिरत के बिगुल अपने बेडे के कामों के वास्ते कोई बेडा न बजावे किंतु इन कामों के वा

करने के वास्ते केवल आज्ञा वाक्यों को
व्यवहार में लावें

२८ लड़ाई के समय पदाति किसी का
रंग और किसी अवस्था पर भी संगीन न
चढ़ावे और सवारी तलवार न निकालें

२९– ग्राम और वाड़े जिन के सामने
फौज रक्षित है वे व्याप्त समझने चाहिये
दल सांग्रामिक कार्यों के समय बगीचे
अथवा सरकारी जमीन में विशेष अ
नुमति के विना कभी प्रविष्ट न होवें

३०– अग्रयोद्धाओं को प्रबल करने अथवा
[illegible] संधुलाग के नीचे और किसी स्थिति
को ग्रहण करने के विना और किसी अ
वस्था में संहारी शीघ्रता अथवा गमन का
बलवत्तर परिमाण काम में न लाना चाहि
ये शकटों में अथवा तोपों की ठोकरों पर
चढ़ाकर दलों का ले चलना मनह है

३१– यह बात मुख्य है कि सामग्री का ख
र्च बहुत थोड़ा और परिमित होवे दलों के

पास वही सामग्री गिनी जावेगी कि जो खा
स सिपाहियों के पास है खड़ी भई ऊई पदा
ति उन के सामने पुरः सरण करने वाले द
ल संघ पर इतने कार तूस संधुक्षण करे
कि जिस मे केवल उन की स्थिति मालुम
हो जावे

३२—जव अश्वाली दूरवर्ति लक्षांतरों
पर संधुक्ष प्रारंभ करती है तव यह केव
ल थोड़े गोले संधुक्षण करे कि जिस में स्थि
ति मालुम हो जावे और जिस लक्ष पर सं
धुक्षण किया है वह लक्ष झंडी या चांदों
के द्वारा सूचित कर देवें अर्थात पदाति
के वास्ते लाल और सादि के वास्ते सफेद
उठावें कोई झंडी न उठाई जावे तो यह
समझना चाहिये कि संधुक्ष तोपखाने
पर किया गया है

३३—हानि वारण करने के वास्ते रेल की
सड़कें केवल नियत पुल और फाटकों पर
से लंघनी चाहिये

३४ घरों के पास अथवा घास के जखीरों के पास यथासंभव संधुलाण न करना चाहिये और जिस में उन स्थानों में आग न लग जावे इसके वास्ते बहुत सावधानता रखनी चाहिये

३५- एक ही सादि संघ बार २ आक्रमण न करे क्योंकि यथार्थ लड़ाई में यह बात असंभव है

३६- जब निश्चत का बिगुल बजता है तब दल इस हुकम को मान लेवें दागना बंद कर लेवें और लेट जावें - सादि घोड़ों पर से उतर पड़ें और (मध्यस्थ की आज्ञा के द्वारा) अपक्रमण के सिवाय और किसी प्रकार की कार न करनी चाहिये जब पुरःसरत बजता है तब व्यापार फिर प्रारंभ कर दिया जाता है जब संधुलाण छिरमत बजा के संमिलल य जाता है तब बंद और सेनाओं के आज्ञापक अफसर मुख्य मध्यस्थ के पास चले जाते हैं और दल रचित होते और आ

त्तायों के वास्ते प्रतीक्षा करते हैं जब सर्युक्त
ताछ्विरमत वजा के अफसर बुलाने का वि
गुल बजता है तब आज्ञापक और वृद
लनायक मुख्य मध्यस्थ के पास चले
जाते हैं और दल अपने २ डेरे चले जा
ते हैं मध्यस्थ को यदि दलों के परस्पर
टक्कर लगने का भय मालुम होवे तो व
ह किसी वेड़े को निवृत्त होने का विगुल
वजने की आज्ञा दे सकता है

सूचकवर्ग कृत्य के विषय में

३७- यदि तुल्य वल के सूचक वर्ग पर
स्पर मिलें तो उनमें से कोई नहीं ११:
सरण कर सकता यदि असम वल के
होवें तो दुर्वल प्रवल सामने पीछे हट आवे

३८- अकेले अफसर या चार पुरुष
जो शत्रु की पंक्तियों के भीतर घुस आते
हैं वे यह काम अपने निज खतरे पर

12

करते हैं और अपने से प्रबल बल के द्वारा कैद कर लिये जाने के योग्य होते हैं बलात्कार कभी न करना चाहिये शत्रु के द्वारा कटा हुआ कोई अफसर या चार पुरुष चुप चाप अाधीन हो जावे उस समय वह कैदी की तरह पहरे में रख कर उपर वाला वर्ग की सीमा के पास नीत होता और उस जगह जा कर छोड़ दिया जाता है जब इस तरह से छोड़ा जाता है तब वह आलिखित प्रतिज्ञा पर छोड़ा हुआ समझा जाता है और वह फिर दिन के कामों में भागी नही हो सकता स्वतंत्र कर दिये हुये कैदियों से प्राप्त वृतांत कि जो उनके कैद होने से पहिले नही भेजे गये थे वे व्यवहार में नही लाये जा सकते

३९ चार युद्ध कृत्य करने में दोनों पार्श्वों की ओर बहुत आत्म संयमता रखनी चाहिये

सरकारी जमीन की सीमा के बाहर अथवा सरकारी पक्की सड़कों के ऊपर व्यूह निर्माण करने वाले दलों के अवस्था के वास्ते अधिक नियम

४० जब प्रति पक्षी दल सड़क पुल अथवा सरकारी अथवा सामान्य भूमि पर स्थित संकट पथों पर मिलते हैं तब मध्यस्थ लोग उन को खड़े कर देवें और प्रत्येक दलों की संख्या और मेल का निश्चय करें

४१ - तिस के बाद वे प्रति पक्षी दल के आज्ञापक अफसरों को बुलावें और निकट वर्ती भूमि पर व्यूह निर्मा

ण करने की शक्ति रखने की अव
स्या अनुमित करके जो अवस्थाप
न उन लोगों ने करने हैं उन अव-
स्थापनों का विवर्ण उन से सुने औ
र इस तरह से प्राप्त मूल पर अपना नि
र्णय देवें

४२- यह एक नियम है कि असवारी
जब किसी ऊंची सड़क पर अथवा पुल
पर होती है तब कभी न संधुक्षण क
रे यदि पुल या सड़क खाली होवे
और घोड़े और व्यापारियों के गड्डे
उस पर कोई न होवें तो केवल ए
क फैर संधुक्षण कर दिया जावे कि
जिस में आवाज सुनने के भीतर
रहने वाले दलों को लड़ाई की अ
वस्था मालूम हो जावे

जब जगह अनुकूल होवे तब
अस्त्राली सड़क या पुल पर अब
नी तोपों को वियोजित करके
स्थिति में स्थापन कर सकता है
परंतु संधक्षण न किया जावे ए
क तोप सड़क के पार्श्व पर सं
धक्षण की जावे कि जिस में यह
बात मालुम होजावे कि वे उप
सर्जन में आने के वास्ते उचित
समय पर पहुंच गये हैं
४६- पदाति या सादि के द्वारा
पुल या संकट पथ पर यदि उस
पर उस समय कोई गाड़ी रुक
डा न चला जाता होवे तो उसी अ
भिप्राय के साथ थोड़ी सी रफल
या कारवाईन संधक्षण की जावे

14

परंतु जब ऐसा करने से घोड़े और मुसाफर उतर सकें तब कमीन संपुर्ण किया जावे ॥ नमः ॥

कोजकालडानाकि
कनाव नं.५

२५५-

कौजकालडानाकि
कनाव